न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 02, झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – कालूराम, आर.जे.एस.

विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या – 115/2026

C.I.S. No. – Bail App. No. 425/2026

C.N.R. No. – RJJH010012772026

अमित कुमार पुत्र इन्द्राज निवासी ढाणी बुरड़कान तन कालियासर पुलिस थाना मलसीसर, जिला झुंझुनूं हाल निवासी सैनिक नगर, झुंझुनूं पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं जिला झुंझुनूं

.... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक

द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता
सेशन प्रकरण संख्याः 2/2023 (12/2023)
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 573/2022, पुलिस थाना कोतवाली, झुंझुनूं
अंतर्गत धारा 420, 406, 448, 120 बी, 302 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितिः–

01. श्री अनुप गिल – अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

02. श्री नंदकिशोर शर्मा – अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से

–आदेश–

दिनांकः– 09 जुलाई, 2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त अमित कुमार की ओर से जमानत का यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जमानत प्रार्थना पत्र की नकल अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई। संबंधित पत्रावली तलब की गई।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 20.09.2022 को परिवादी लियाकत अली पुत्र नूर मोहम्मद निवासी वार्ड नम्बर 43 खोरा मौहल्ला झुन्झुनू की ओर से थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, झुंझुनूं के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि प्रार्थी का एक प्लाट चुरू बाईपास रोड़ पर थ्री डॉटस स्कूल से उत्तर में स्थित है, जिसमें तीन दुकाने मुख्य रोड़ पर बनाई हुई हैं तथा पीछे की साईड में मकान बनाये हुए हैं तथा उपर की मंजिल का काम चालू कर रखा है। अमित कुमार पुत्र इन्द्राज सिंह की अमित इलेक्ट्रोनिक की दुकान के नाम से प्रार्थी से उत्तर में एक प्लाट छोड़कर स्थित है। प्रार्थी अपनी दुकान पर बैठता है, उक्त अमित कुमार ने प्रार्थी से कहा कि उसकी बैंक में अच्छी जान पहचान है, वह प्रार्थी को लॉन दिलवा देगा, जिससे मकानात बनाकर बैंक को ही अच्छे किराये पर दिलवा देगा। इसी बहाने से उक्त अमित कुमार प्रार्थी के प्लाट के कागजात नगर परिषद झुन्झुनू द्वारा दिया गया पट्टा, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, पास बुक आदि सभी कागजात ले गया, फिर एक रोज कोर्ट में प्रार्थी को ले जाकर प्रार्थी से कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिये और कहा कि इन कागजों से वह प्रार्थी को बैंक से लोन दिलवा देगा। प्रार्थी का लड़का मोहम्मद वसीम भी अपाहिज है। प्रार्थी व प्रार्थी का लड़का मोहम्मद वसीम प्रार्थी के अपने प्लाट में बने मकानों में ही रात को रहते हैं। आज दिनांक 20.09.2022 को सुबह करीब 5.00 बजे प्रार्थी व उसका लड़का उठे और देखा तो अमित कुमार, उसका पिता इन्द्राज अन्य राजवीर, कर्मवीर कुल 10–12 आदमी प्रार्थी की दुकानों के ताले तोड़ रहे थे, प्रार्थी ने मना किया तो अमित ने कहा कि मकान दुकान हमारे हैं, तुम बाहर निकलो। इस पर प्रार्थी ने फोन पर अपने परिवारवालों को सूचित किया तो 10–15 मिनट बाद ही परिवार व मौहल्ले के आदमी वहां आ गये तो उक्त सभी लोग वहां से भाग गये। करीब दो तीन मिनट बाद ही अमित कुमार जीप लेकर पुनः मौके पर प्रार्थी की दुकानों के सामने आया, उसने वहां खड़े हुए आदमियों पर जान से मारने की नियत से जीप चढाने की

कोशिश की तो वहां पर खड़े याकूब पुत्र मजीद खां व इकबाल हुसैन पुत्र सलाउदीन के गंभीर चोटें आई। प्रार्थी के आदमियों ने पुलिस को सूचित किा तो उक्त अमित कुमार उसके साथ राजवीर, कर्मवीर व एक अन्य व्यक्ति को पुलिस पकड़ कर अपने साथ थाने पर लेकर चले गये, अन्य सभी लोग पहले ही भाग गये थे। प्रार्थी भोला भाला अपाहित लाचार व्यक्ति हैं, प्रार्थी से उक्त अमित कुमार ने धोखाधड़ी से झूंठ बोलकर फर्जी कागजात तैयार कर प्रार्थी के प्लाट व मकान को हड़पेन के लिये झूंठे व फर्जी कागजात तैयार किये हैं ... इत्यादि रिपोर्ट पर पुलिस थाना कोतवाली, झुंझुनूं में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 573/2022 अपराध अंतर्गत धारा 143, 307, 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज कर बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्ध धारा 420, 406, 120 बी, 448, 307, 302/34 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं के समक्ष पेश किया गया, जहां से प्रकरण माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय, झुंझुनूं को उपार्पित किया गया। कालांतर में हस्तगत प्रकरण विचारण हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, जो वर्तमान में साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर लंबित है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 22.09.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपने जमानत प्रार्थना पत्र में इस आशय के तथ्य दर्शित किए गए हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। वह निर्दोष है। प्रकरण में उसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 22.09.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में घटनास्थल काफी स्वतंत्र गवाह का उपस्थित होना व घटना देखना आया है लेकिन दौराने अनुसंधान जांच अधिकारी द्वारा उन गवाहान को परीक्षित नहीं किया गया है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा जानबुझकर सच्चाई को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है तथा केवल परिवादी पक्ष के गवाहान को झूठा चश्मदीद गवाह बनाया है। प्रकरण के परिवादी द्वारा

साक्ष्य के दौरान मृतक याकुब व आहत इकबाल के सड़क दुर्घटना में चोटें आना स्वीकार किया गया है तथा उसके अनुसार गवाह एवं साहिल के बयानों के अनुसार अन्य परीक्षित गवाहान खादिम, युनुस व इकबाल व इकरार घटन के चश्मदीद नहीं है, क्योंकि उनको सूचना वसीम ने दी थी एवं उक्त वसीम द्वारा न्यायालय में अपने बयानों में घटन का चश्मदीद गवाह नहीं होने बाबत कथन किए गए हैं। प्रकरण में अन्य सहअभियुक्तगण राजवीर, कर्मवीर, इन्द्राज व हेमंत की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त का प्रकरण उनसे भिन्न नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त उचित जमानत मुचलके पेश करने एवं न्यायालय आदेश मानने हेतु तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

4. इस प्रार्थना पत्र का अपर लोक अभियोजक की ओर से लिखित जवाब पेश नहीं किया गया।

5. बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्ष सुनी गई।

6. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाहान की साक्ष्य हो चुकी है, जो कि विश्वसनीय नहीं है। प्रकरण में स्वयं परिवादी लियाकत द्वारा अपनी साक्ष्य के दौरान मृतक याकुब व आहत इकबाल के सड़क दुर्घटना में चोटें आने बाबत कथन किए गए हैं। प्रकरण में अब तक आई साक्ष्य से किसी भी गवाह का मौके पर मौजूद रहने का तथ्य किसी रूप में साबित नहीं है। प्रकरण का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। अभियुक्त गत लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। लिहाजा अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए।

7. इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से तर्क दिया गया कि प्रकरण में अभी महत्वपूर्ण गवाहान की साक्ष्य होनी शेष है। चश्मदीद गवाहान द्वारा भी अभियुक्त के घटना में सम्मिलित होने के संबंध में स्पष्ट कथन अपनी साक्ष्य दौरान किए गए हैं। अभियुक्त के विरूद्ध

गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है। लिहाजा प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

8. पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी/अभियुक्त अमित कुमार का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	प्र.सू.रि.सं./ प्रकरण सं./थाना	अपराध अंतर्गत धारा	तारीख प्र.सू.रि.	प्रकरण की वर्तमान स्थिति	गिरफ्तारी की दिनांक	छूटने की दिनांक
		– शून्य –				

9. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन एवं परिशीलन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करें तो प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र कारित कर परिवादी के साथ धोखाधड़ी करने एवं अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में प्रकरण के मृतक याकुब के उपर जीप चढाकर उसकी हत्या किए जाने का अभियोग है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.05.2023 को इस न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी पूर्व में अस्वीकार कर खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420, 406, 448, 120 बी व 302 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित किए जाने के उपरांत प्रकरण में साक्ष्य अभियोजन में गवाहान पी.डब्ल्यू. 01 लगायत पी.डब्ल्यू. 07 की साक्ष्य लेखबद्ध हो चुकी है। प्रकरण में अन्य महत्वपूर्ण गवाहान की साक्ष्य शेष है। आरोपित अपराध गभ्भीर प्रकृति का है। पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त अमित कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने के पश्चात प्रकरण में ऐसा कोई तात्विक परिवर्तन होना प्रकट नहीं होता, जिसके आधार पर अभियुक्त जमानत पाने का अधिकारी हो।

10. अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर

कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। **लिहाजा प्रार्थी/अभियुक्त अमित कुमार की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।**

11. सम्मानीय न्यायिक विनिश्चय In Re pollcy strategty for Grant of bail SMMP (criminal) No 04/2021 Dtd. 31.01.2023 की पालना में प्रार्थी/अभियुक्तण को व्यक्तिगत नोटिस हेतु आदेश की प्रति जरिए ई मेल संबंधित कारागृह को प्रेषित की जावे।

12. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 5/एस.ओ./ 2025 दिनांक 12.03.2025 की पालना में एक कवरशीट भी प्रार्थी/अभियुक्त को सूचनार्थ आदेश की प्रति के साथ भिजवाई जावे।

(कालूराम)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 02
झुंझुनूं (राज.)

13. आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2026 को लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(कालूराम)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 02
झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.08.03 12:35:08 IST